UPRP010090252025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2, रामपुर

उपस्थित– **डॉ० विजय कुमार** (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code–UP 2413)

क्रि० अपील सं०–99/2025

रजि०सं०–104/2025

मौहम्मद आरिफ उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र श्री लियाकत हुसैन निवासी ग्राम लाड़पुर निकट बथुआखेड़ा थाना स्वार जिला रामपुर

––– अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्रीमती हाशरूम जहां आयु करीब 39 वर्ष पत्नी मौहम्मद आरिफ पुत्र श्री जमील हसन निवासी ग्राम पिपलिया जट थाना मिलक खानम जनपद रामपुर

––– विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1. यह दाण्डिक अपील न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध), रामपुर द्वारा परिवाद सं० 08/2023 हशरूम जहां बनाम मौ०आरिफ अन्तर्गत धारा–20(3)/31 घरेलू हिंसा अधिनियम थाना मिलक खानम जिला रामपुर में पारित आदेश दिनांकित 06.11.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलार्थी/विपक्षी ने यह दाण्डिक अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विपक्षी सं०–2/प्रार्थिनी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 05.08.2019 को वाद सं०–921/2021 अन्तर्गत धारा 20(3)/31 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत योजित कर 30 हजार रूपये एक मुश्त व बच्चों की शिक्षा पर व्यय धनराशि वार्षिक 76 हजार रूपये व संयुक्त मकान में रहने के लिए कमरा दिलाने की याचना करते हुये योजित कर अवर न्यायालय द्वारा वाद सं०–28/2016 हाशरूम जहां बनाम मौ० आरिफ आदि में पारित निर्णय दिनांकित 03.07.2019 के अनुपालन हेतु याचना की गयी थी। अवर न्यायालय द्वारा विपक्षी सं०–2 द्वारा योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित

05.08.2019 को वाद सं०–921/2021 हाशरूम जहां बनाम मौ० आरिफ में अपीलार्थी/मौ० आरिफ के विरूद्ध 30 हजार रूपये अदा करने हेतु दिनांक 16.04.2022 को रिकवरी वारण्ट जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी/मौ० आरिफ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं० 3585/2022 योजित की गयी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 08.07.2022 को आदेश पारित करते हुये कहा गया था कि अपीलार्थी/मौ० आरिफ के द्वारा 30 दिन के भीतर 30 हजार रूपये अदा करने पर रिकवरी आदेश दिनांकित 16.04.2022 अपास्त माना जायेगा। अपीलार्थी/मौ० आरिफ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं०–2 को दिनांक 02.08.2022 को 30 हजार रूपये की धनराशि अदा कर दी गयी थी तथा अवर न्यायालय द्वारा रिकवरी वारण्ट दिनांकित 16.04.2025 को निरस्त कर दिया गया था। अवर न्यायालय द्वारा वाद सं०–921/2019 हाशरूम जहां बनाम मौ० आरिफ धारा–20(3)/31 घरेलू हिंसा अधिनियम का दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 29.11.2022 को गुणदोष के आधार पर अन्तरिम रूप से निस्तारण कर दिया गया तथा अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को अपने आदेश में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि विपक्षी सं०–2 द्वारा अपने वाद सं०–921/2019 अन्तर्गत धारा–20(3)/31 में "विपक्षी (अब अपीलार्थी) से अपने पुत्र मौ० आरव व पुत्री कु० अलीना का शिक्षा का कुल एकमुश्त वार्षिक खर्च 76,000/–रू० दिलाये जाने के सन्दर्भ में न्यायालय यह अभिमत व्यक्त करता है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 03.07.2019 में विपक्षी (अब अपीलार्थी) को शिक्षा पर होने वाले व्यय के एवज में किसी प्रकार की एकमुश्त धनराशि अदा करने हेतु आदेशित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादनी (अब विपक्षी सं०–2) द्वारा उसके पुत्र मौ० आरव व पुत्री कु० अलीना की शिक्षा का कुल एकमुश्त वार्षिक खर्चा 76,000/–रू० विपक्षी (अब अपीलार्थी) द्वारा अदा करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं होगा।" विपक्षी सं०–2 द्वारा पुनः उन्ही समान तथ्यों के आधार पर समान पक्षकारों एवं समान अनुतोष समान न्यायालय से बच्चों की शिक्षा के व्यय के रूप में एकमुश्त धनराशि 3,26,000/–रू० प्राप्त करने हेतु योजित किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 29.11.2022 को विपक्षी सं० 2 की इसी याचना को अस्वीकार कर वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया था, जिस कारण विपक्षी सं०–2 द्वारा योजित प्रार्थना पत्र पर "Doctrine of resjudicata" लागू होती थी। चूंकि मामला Quisi Civil Nature & Quisi Criminal Nature का है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पारित करते हुये विधिकमत अभिनिर्धारित किया गया है कि– The Apex Court has held that principal of "ResJudicate" will Apply

universally meaning thereby that the same shall apply to both civil and criminal proceedings in order to secure the interest of justice and multiple litigations. [M. Nagabhushana Versus State of Karnatak (2011) 3 SCC 408 S.C.] जिस कारण विपक्षी सं०–2 द्वारा योजित प्रार्थना पत्र उक्त विधिक व्यवस्था के आलोक में विधिक रूप से पोषणीय एवं सुनवाई योग्य नहीं था, परन्तु न्यायालय द्वारा उपरोक्त बाध्यकारी विधि व्यवस्था पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना ही मनमाने ढंग से सरसरी तौर पर आदेश दिनांकित 06.11.2025 पारित किया गया है, जो कि एक गम्भीर विधिक त्रुटि है, जिस कारण उक्त आदेश विधि रूप से कायम रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई न्यायालय द्वारा धारा–18 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया गया था और विपक्षी सं०–2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा भी कोई कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा किसी संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया गया हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा–31 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध तभी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जब अपीलार्थी द्वारा किसी संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया गया हो। उक्त मामले में धारा–31 घरेलू हिंसा अधिनियम के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, दिल्ली एवं कर्नाटक द्वारा विधि व्यवस्थाएं प्रतिपादित करते हुए विधिक मत अभिनिर्धारित किया गया है कि–

(i) The Hon'ble Allalahabad High Court held that for non payment of maintenance the proceedings under section 31 of the D.V. Act cannot be initiated. [Manoj Anand Versus State of U.P & another (Cr. Rev. No. 635 of 2011)].

(ii) The Hon'ble High Court had held that provisions of sections 31 D.V. Act will not be applicable for recovery of the amount under the orders passed in exercise of juridiction under section 12 and 23 of the D.V. Act 2005. [Vikram Shah Versus State of U.P & another (Appl. u/s 482 No. 23048 of 2018)]

(iii) The Hon'bel Karnataka High Court, had held that the plain reading of section 31 of the D.V. Act in the light of definition found under section 2 (0) the D.V. Act, it could be definitely said the order of granting maintenance does not amount to "Protection Order" and Violation of the same will not be attracted the provisions of the section 31 of the D.V. Act 2005. [Mohammad Yaseen Niakwadi V/s Smt. Aneesh Mohammad Yaseen & Another (CRL. P. No 102231 of 2023].

(iv) The Hon'ble Delhi High Court was of the view that a person cannot be summaned under section 31 D.V. Act for non-complainance of monetary order such as for payment of maintenance passed under section 20 of the D.V. Act [Anish Pramod Patel V/s Kiran Joyt Maini. (2024 (1) MMLJ, 126 (Del.)] परन्तु अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं पर भी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया तथा मनमाने ढंग से गम्भीर विधिक त्रुटि कारित कर आदेश दिनांकित 06.11.2025 पारित किया गया है, जो कि विधिक रूप से कायम रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 06.11.2025 पारित करते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था तरूण कुमार मित्तल बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा–482 दं०प्र०सं० सं०–6319/2021 में पारित आदेश दिनांकित 07.09.2021 का सहारा लिया गया है, परन्तु उक्त विधि व्यवस्था की अवर न्यायालय द्वारा गलत व्यवस्था की गई है। चूंकि उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्णीत नहीं किया गया है कि धारा–31 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी धनराशि की वसूली हेतु किसी व्यक्ति को निर्देशित या सम्मन किया जा सकता हो, जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2025 मनमाना एवं विधि विरूद्ध है तथा विधिक रूप से कायम रहने योग्या नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में धारा–31 घरेलू हिंसा अधिनियम के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है, जिस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 31 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना एक मनमानी एवं गम्भीर विधिक त्रुटि है, जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2025 विधि विरूद्ध है तथा विधिक रूप से कायम रहने योग्य नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. विपक्षी सं०–2/आपत्तिकर्ता की ओर से उक्त अपील के विरूद्ध आपत्ति 10क प्रस्तुत की गयी कि–आधार अपील आधारहीन, विधि विरूद्ध, असत्य तथा बेबुनियाद तथ्यों एवं कथनों पर आधारित होने के कारण स्वीकार किये जाने के योग्य नहीं है। आधार अपील अन्र्तवर्तीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही आज भी विचाराधीन है। अपील अपने वैधानिक उत्तरदायित्व से बचने के लिये प्रस्तुत की गई है। अधिनियम तथा उससे सम्बन्धित नियमावली में धारा–11 सि०प्र०सं० 1908 के प्राविधान हरगिज लागू नहीं होते है तथा इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही की प्रकृति पर धारा–11 सि०प्र०सं०

आकृष्ठ ही नहीं होती है। अपीलकर्ता के द्वारा आधार अपील में उल्लिखित विधि व्यवस्थाएँ वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकी 06.11.2025 पूर्ण रूप से विधिसम्मत, तार्किक, गुण दोष के आधार पर पारित किया अन्र्तवर्तीय आदेश है, जो किसी भी दशा में धारा–29 घरेलू हिसां से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। उपरोक्त तथ्यों एवं विधि के प्रकाश में आधार अपील निरस्त किये जाने के योग्य है और आदेश दिनांकी 06.11.2025 यथावत रखे जाने के योग्य है।

4. विपक्षी सं०–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी सं०–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है। अपील आधारहीन है तथा अपील को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली एवं प्रश्नगत आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया।

6. अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं०–2/प्रार्थिनी द्वारा अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा–20 (3)/31 घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी ने न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी० में फौजदारी वाद सं०–28/2016 हशरूम जहां बनाम मौहम्मद आसिफ आदि धारा–12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 थाना मिलक खानम जिला रामपुर योजित किया था, जिसमें अवर न्यायालय ने दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थिनी के हक में आदेश करते हुए निर्णय दिया कि विपक्षी वादिनी के पुत्र व पुत्री मौ० आरव व कु० अलीना के शिक्षा का प्रबन्ध व शिक्षा के होने वाले व्यय को अदा करें और अपने संयुक्त मकान में प्रार्थिनी को और उसके बच्चों को रहने दिया जाये, इसका अनुपालन विपक्षी ने निर्णय की दिनांक 03.07.2019 से अभी तक नहीं किया तथा न्यायालय ने पुनः दिनांक 29.11.2022 को आदेश पारित करते हुए विपक्षी को आदेशित किया और निम्नलिखित शर्तो की अण्डरटेकिंग दाखिल करने का आदेश करते हुए कि :–

1. परिवादिनी के पुत्र आरव पुत्री अलीना की शिक्षा का प्रबन्ध करेगा।
2. परिवादिनी के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय को अदा करेगा।

परिवादिनी व उसके बच्चों को विपक्षी सं०–1 संयुक्त मकान में रहने से नहीं रोकेगा। इस प्रकार न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थिनी दिनांक 04.12.2022 को अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर गई और अपने रहने के लिए मकान मांगा और बच्चों को शिक्षा का प्रबन्ध करने व शिक्षा पर होने वाले व्यय को मांगा, तब उक्त मौ० आरिफ व उसके घर वालों ने प्रार्थिनी के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत उसी दिन प्रार्थिनी ने थाना पर की, परन्तु कोई

कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार प्रार्थिनी के बच्चों का वार्षिक व्यय कुल 76,000/–रूपये वर्ष 2019–2020 तथा सत्र 2020–2021 का 80,000/–रूपये व सत्र 2021–2022 का 90,000/– रूपये व सत्र 2022–2023 का अभी तक का कुल खर्च 40,000/– रूपये तथा कुल खर्च 3,26,000/–रूपये विपक्षी को आदेशित कर वादिनी के बच्चों की शिक्षा का दिलाया जाना व प्रार्थिनी को विपक्षी के संयुक्त मकान में रहने का अनुपालन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी के बच्चों का अब तक का कुल खर्च 3,26,000/–रुपये विपक्षी से दिलाये जाने व प्रार्थिनी को पुलिस थाना स्वार को आदेशित कर प्रार्थिनी व उसके बच्चों को विपक्षी के संयुक्त मकान में रखवाने का आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

7. आपत्तिकर्ता/विपक्षी मौ० आरिफ की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वादिनी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 05.08.2019 को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–31/20 (3) घरेलू हिंसा अधिनियम प्रस्तुत कर याचना की गयी थी कि विपक्षी से रहने के लिए मकान व एक मुश्त धनराशि 30,000/–रूपये व बच्चों की शिक्षा पर व्यय धनराशि वार्षिक 76,000/–रूपये, कुल रूपये 1,06,000/–रूपये दिलाने की याचना की गई थी। अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.08.2019 पर दिनांक 16.04.2022 को विपक्षी के विरूद्ध 30,000/–रूपये अदा करने हेतु रिकवरी वारण्ट जारी किया गया था। विपक्षी द्वारा अवर न्यायालय द्वारा पारित रिकवरी आदेश दिनांकित 16.04.2022 से क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं० 3585/2022 योजित की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.07.2022 में कहा गया था कि विपक्षी एक माह के अन्दर 30 हजार रूपये उपरोक्त वादिनी को अदा करने पर रिकवरी आदेश दिनांकित 16.04.2022 अपास्त माना जायेगा। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 08.07.2022 के अनुपालन में उपरोक्त वादिनी को 30,000/–रूपये की धनराशि दिनांक 02.08.2022 को अदा कर दी गयी है। विपक्षी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचना की गयी थी कि उपरोक्त वाद में वादिनी को आदेशित किया जाये कि वह बच्चों के साथ विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान में रहे, जहां विपक्षी बच्चों के शिक्षा का खर्च अपनी हैसियत अनुसार अदा करेगा तथा उपरोक्त वादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.11.2022 पर घोर आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर गुणदोष के आधार पर उपरोक्त वादिनी द्वारा योजित प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.08.2019 अन्तर्गत धारा–31/20 (3) घरेलू हिंसा अधिनियम का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिनांक 29.11.2022 को

उपरोक्त वादिनी को आदेशित किया कि वह विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान में जाकर रहे, परन्तु उपरोक्त वादिनी द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। उपरोक्त वादिनी अब पुनः उन्हीं समान तथ्यों के आधार पर समान पक्षकारों एवं समान अनुतोष समान न्यायालय द्वारा प्राप्त करना चाहती है, जिनका पूर्ण रूप से अन्तिम निस्तारण दिनांक 29.11.2022 को कर दिया गया है। एक सामन पक्षकारों एवं एक समान तथ्यों पर वही अनुतोष जो पूर्व में उसी सामान न्यायालय द्वारा प्राप्त करने की याचना किसी पक्षकार द्वारा की गयी हो, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया हो, पुनः उन्हीं आधारों पर अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है और न ही समान न्यायालय उन्हीं समान तथ्यों पक्षकारों एवं समान अनुतोष के सम्बन्ध में कोई सुनवाई कर सकता है। उपरोक्त वाद सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को दोनों पक्षकारों को सुनकर अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है, जिस कारण वर्तमान वाद पर "Doctrine of resjudicata" लागू होती है–

The Doctrine of resjudicata "nemo debet bis vexari una et eadem causa" (No man should be vexed twice for the same cause).

<u>Extent and applicability of Doctrine of resjudicata.</u>

The Doctrine of res judicata is fundamental concept based on public policy and private interest. it conceived in the larger public interest which requires that every litigation must come to an end. It, therefore, applies to civil suites, execution procceddings, arbitration proccedings, taxation matters, induseril adjudication, writ petitions, administra–tive orders, interim arders, criminal proceedings, etc.

<u>Resjudicata and rule of law</u>

The doctrine of res judicata is of universal application. In the historic decision of, the Supreme Court has placed the doctrine of res judicata on a still broader foundation. In that case, the petitioners had filed writ petitions in the High Court of Allahabad under Article 226 of the Constitution and they were dismissed. Thereafter, they fied substantive petitions in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution for the same relief and on the same grounds. The respondents raised a preliminary objection regarding maintainability of the petition by contending that the prior decision of the High Court would operate as ts judicata to a petition under Article 32. The Supreme Court upheld the

contention and dismissed the petitions. Speaking for the Constitution Berich, Hon, ble Justice Gajendragadkar (as he then was observed "The binding character of judgments pronounced by courts of competire furisdiction is itself an essential part of the rule of law, and the rule of las obviously is the basis of the administration of justice on which the Constituti lays so much empha–sis. **"Daryao Vs State of U.P. A.I.R. 1961 SC 1457.**

वादिनी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रार्थना पत्र उपरोक्त विधि के विरूद्ध है तथा कानून का दुरूपयोग है तथा उपरोक्त प्रार्थना पत्र योजित कर न्यायालय का समय एवं विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है, जिस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में उल्लेंख किया गया है कि ''प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी द्वारा दिनांक 07.01.2023 को संस्थित किया गया है तथा न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा पारित मूल आदेश दिनांकित 03.07.2019 के शेष आदेश के अनुपालन हेतु संस्थित किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार प्रतिपक्षी सं०–1 को परिवादिनी को एकमुश्त 30,000/–रुपये दिये जाने तथा उसके पुत्र व पुत्री को शिक्षा–दीक्षा से सम्बन्धित व्यवस्था तथा खर्च उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुपालन हेतु पूर्व में संस्थित वाद सं०–921/2019 हशरूम जहां बनाम मौ० आरिफ धारा–31(1), 20(3) घरेलू हिंसा अधिनियम थाना मिलक खानम, रामपुर में संस्थित किया गया, जिसकी कार्यवाही के दौरान रिकवरी वारण्ट न्यायालय द्वारा जारी होने पर प्रतिपक्षी सं०–1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं०–3585/2022 मौ० आरिफ व 6 अन्य बनाम हशरूम जहां संस्थित किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा एक माह के भीतर तीस हजार रुपये धनराशि का भुगतान होने पर दिनांक 16.04.2022 के आदेश के अनुपालन में पारित रिकवरी वारण्ट को निरस्त किये जाने से सम्बन्धित आदेश पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रतिपक्षी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को परिवादिनी को तीस हजार रुपये प्रदान किये गये, जैसा कि दिनांक 29.11.2022 को वाद सं०–921/2019 हशरूम जहां बनाम मौ० आरिफ धारा–31(1), 20(3) घरेलू हिंसा अधिनियम थाना मिलक खानम, रामपुर में पारित अंतिम आदेश से स्पष्ट है। जैसा कि प्रतिपक्षी द्वारा इस स्तर पर यह अभिकथित किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में एकमुश्त धनराशि जमा की जा चुकी है तथा न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में उन्हें वर्तमान समय में किसी भी धनराशि की अदायगी नहीं करनी है। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में की गयी कार्यवाही को रेसजूडिकेटा के सिद्धान्त के अन्तर्गत आच्छादित होने

का अभिकथन किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि धारा–18 घरेलू हिंसा से सम्बन्धित आदेश के अभाव में धारा–31 डी०वी० एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिसके समर्थन में प्रतिपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों का आदेश संदर्भित किया गया है। **प्रथम प्रश्न के आलोक में यदि हम समग्र पत्रावली का अवलोकन करें तथा सभी आदेशों का परिशीलन करें, तो यह दर्शित होता है कि** प्रतिपक्षी द्वारा मूल आदेश दिनांकित 03.07.2019 के अनुपालन में एकमुश्त धनराशि 30,000/–रुपये का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु परिवादिनी के पुत्र मौ० आरब व पुत्री कु० अलीना के शिक्षा पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित कोई भुगतान नहीं किया गया है। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कथन है, उक्त आदेश दिनांकित 08.07.2022 के अवलोकन से दर्शित होता है कि न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से दिनांक 16.04.2022 को जारी वारण्ट को निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 29.11.2022 को पारित आदेश द्वारा भी प्रतिपक्षी मौ० आरिफ को बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबन्ध एवं व्यय से सम्बन्धित खर्चे की अदायगी किये जाने एवं परिवादिनी व बच्चों को मकान में रहने से सम्बन्धित आदेश पारित किया गया है, किन्तु प्रतिपक्षी द्वारा उक्त के अनुपालन से सम्बन्धित की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी है। उक्त से यह दर्शित होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा मूल आदेश का आंशिक अनुपालन किया गया है तथा उक्त अनुपालन के आधार पर वह शेष आदेश के अनुपालन से प्रविरत रहना चाहते हैं तथा उक्त अनुपालन से बचने के लिए उनके द्वारा पूर्व में की गयी आंशिक कार्यवाही को रेसजुडिकेटा के सिद्धान्त से आच्छादित करना चाहते हैं। प्रस्तुत मामले में परिवादिनी द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा–दीक्षा से होने वाले खर्च से सम्बन्धित प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में प्रतिपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रतिपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में बच्चों की शिक्षा–दीक्षा से सम्बन्धित होने वाले खर्च के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा केवल एकमुश्त धनराशि की अदायगी की गयी है। इस प्रकार प्रतिपक्षी द्वारा अभिकथित यह तथ्य कि परिवाद में की गयी एकमुश्त धनराशि का भुगतान रेसजुडिकेटा के अन्तर्गत आता है तथा पौषणीय नहीं है तथा साथ ही प्रतिपक्षी इस आधार पर न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश के अनुपालन में प्रविरत नहीं रह सकता। इस प्रकार बिन्दु सं०–1 प्रतिपक्षी के विरूद्ध साबित होता है। **यदि हम द्वितीय प्रश्न के आलोक में यदि हम समग्र पत्रावली का अवलोकन करें तथा सभी आदेशों का परिशीलन करें, तो यह दर्शित होता है कि** प्रतिपक्षी द्वारा अभिकथित किया गया है कि न्यायालय द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसके अनुपालन की कार्यवाही धारा–31 में की जा सके, किन्तु उक्त के आलोक में

यदि हम अपर सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.07.2019 का अवलोकन करें तो यह दृष्टिगत होता है कि न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय में प्रतिपक्षी द्वारा परिवादिनी को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या घरेलू हिंसा कारित न किये जाने से सम्बन्धित तथा अन्य धनीय अनुतोष आदेश पारित किया गया है, जो धारा–18 की परिधि में आता है। इसके साथ यदि हम माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 द०प्र०सं० सं०–6319/2021 तरूण कुमार मित्तल बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांकित 07.09.2021 के वाद में पारित आदेश का अवलोकन करें तो यह दृष्टिगत होता है कि उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया है कि धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित आदेश के अनुपालन हेतु किये जाने वाले कार्यवाही धारा–31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होती है। इस प्रकार बिन्दु सं०–2 प्रतिपक्षी के विरूद्ध साबित होता है। तदनुसार परिवादनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.11.2025 से स्वीकार किया गया तथा प्रतिपक्षी सं०–1 मौ० आरिफ को आदेशित किया गया कि वह दोनो बच्चों की शिक्षा–दीक्षा से सम्बन्धित आदेश का अनुपालन दिनांक 03.07.2019 को न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित न्यायालय रामपुर द्वारा पारित आदेश एवं सिविल जज (अवर वर्ग)/त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2022 के अनुक्रम में करना सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये एक माह के भीतर न्यायालय को अवगत करायें।''

9. इस स्तर पर धारा–29 घरेलू हिंसा अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक है जो यह परिभाषित करती है कि, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी को, जैसा भी मामला हो, तामील किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो भी बाद में हो।

10. उल्लेखनींय है कि विपक्षी सं०–2/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा पारित मूल आदेश दिनांकित 03.07.2019 के शेष आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 07.01.2023 को अवर न्यायालय में संस्थित किया गया, जिसमें अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अन्तिम आदेश नहीं है, बल्कि अन्तरिम आदेश है, जो धारा–29 घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है।

11. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रपत्रों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में

निकाला गया निष्कर्ष विधिसम्मत प्रतीत होता है। विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में कोई क्षेत्राधिकार, विधिक अथवा तात्विक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह दाण्डिक अपील इस स्तर पर पौषणीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांकः 01-04-2026

(डॉ० विजय कुमार)
(J.O.Code-UP2413)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, रामपुर

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

दिनांकः 01-04-2026

(डॉ० विजय कुमार)
(J.O.Code-UP2413)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2, रामपुर

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.04.02 11:20:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court